

विवाह पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

गवाहों के पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष हेतु)

- पहचान एवं पते की स्वहस्ताक्षरित प्रति (केवल आवेदक की) निम्न में से केवल एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करे:-
 - मतदाता पहचान पत्र
 - आधार कार्ड
 - डाइविंगा लाईसेंस
 - पासपोर्ट
 - पेनकार्ड
 - भामाशाह कार्ड इत्यादि
- वर-वधू की संयुक्त फोटो (5x3 Size) अथवा वर-वधु की फोटो केमरे से खींचकर।

आवेदन क्षेत्र

- ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदन प्रपत्र विवाह सम्पन्न होने वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अर्गेषित किया जावेगा।
- अथवा
- ई-मित्र केन्द्र वर-वधू विवाह पश्चात जिस क्षेत्र विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने के तत्काल कम से कम 30 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हो, तो उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अर्गेषित करेगा।

शुल्क

- आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने एवं संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज का राजकीय डेटाबेस से सत्यान किये जाने की स्थिति में 15/-
- आवेदन प्रपत्र के साथ पहचान/पते के दस्तावेज को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 20/- रु.
- विवाह सम्पन्न होने की तिथि के 30 दिन की अवधि में 10/- रु. एवं 30 दिन पश्चात 100/- रु. पंजीयन पंजीयन शुल्क देय होगा।

विभाग द्वारा आवेदक को SMS के माध्य से सूचित करना

मोबाईल पर SMS के द्वारा दी जावेगी। वर-वधु को निर्धारित दिनांक को संबन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-

विभाग को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज

- ई-मित्र पर आवेदन किये गये प्रपत्र का प्रिन्टआउट एवं पावती रसीद
- वर-वधु प्रत्येक की एक-एक पासपोर्ट साईज फोटो
- वर-वधू की संयुक्त फोटो (5x3 Size)
- वर व वधू की पहचान व पता का दस्तावेज
- वर व वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- वर व वधू का अलग-अलग शपथ पत्र
- विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र तथा पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष हेतु)
- शादी का कार्ड (वर व वधू दोनों पक्ष का) यदि उपलब्ध हो